

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर



श्रमिक ठेका ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)
(उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल, सेवाकर्मी प्रदाय हेतु)

: निविदा आमंत्रणकर्ता :

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित.
ग्राम सिरोंजा, पोस्ट – केन्ट सिविल लाईन
सागर (म.प्र.)– 470001

:: तालिका ::

(INDEX)

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक 01 से 30 तक
(1)	कवर पेज	01
(2)	तालिका	02
(3)	ई-निविदा आमंत्रण सूचना	03
(4)	निविदा प्रपत्र 1 – कार्य का विवरण, नियम व शर्तें	04 से 15
(5)	निविदा प्रपत्र 2 (अ) तकनीकी अर्हताये	16 से 18
(6)	निविदा प्रपत्र – 02 (ब) तकनीकी अर्हताये संबंधी नियम व शर्तें	19 से 21
(7)	निविदा प्रपत्र – 03 भावपत्र	22
(8)	निविदा प्रपत्र – 04 कार्यक्षेत्र की सूची	23
(9)	निविदा प्रपत्र – 05 अनुबंध पत्र	24–30

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर



क्रमांक 577 / प्रशा. / बु.स.दु.सं. / सागर / 2023

दिनांक 24.08.2023

श्रमिक ठेका ई-निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम)

(उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल, सेवाकर्मिप्रदाय हेतु)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य डेयरी संयंत्र, ग्राम सिरोंजा कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए श्रमिक (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल)/सेवाकर्मि प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से Two bid system "दो बिड पद्धति" (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई-निविदा (प्रथम) आमंत्रित की जाती है। निविदा अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी है। इच्छुक निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र की कीमत राशि रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक 25.08.2023 दोपहर 01:00 बजे से दिनांक 14.09.2023 दोपहर 01:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाइन कय कर सकते हैं। किसी भी निविदा (निविदाओं) को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। ई-निविदा की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावेगी। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट sanchidairy.com/sanchisagar.com पर उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

मूल्य 1000/-

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

प्रपत्र-1

1 . प्रस्तावना :-	
1.1	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य डेयरी संयंत्र, ग्राम सिरोंजा कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में तीन वर्ष की अवधि के लिए श्रमिक (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल)/सेवाकर्मी प्रदाय हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सक्षम एकल ठेकेदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी/कम्पनी से "जिसे 03 वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में श्रमिक प्रदाय का कार्यानुभव हो, से Two bid system "दो बिड पद्धति" (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) के माध्यम से ई-निविदा (प्रथम), निविदा प्रपत्र में दिये गये नियम एवं शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
2 . अधिकृत अधिकारी का नाम एवं पता :-	
2.1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम-सिरोंजा, पोस्ट-केन्ट सिविल लाईन, सागर – 470001 म.प्र.
3 . निविदा प्रपत्र के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पर्क अधिकारी एवं ई-टेण्डरिंग हेतु वेबसाइट सम्बंधी विवरण:-	
3.1	प्रभारी/प्रबंधक (प्रशासन), बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम-सिरोंजा, पोस्ट-केन्ट सिविल लाईन, सागर – 470001 म.प्र. E-Mail ID : Sanchibkdssagar@gmail.com निविदा सम्बंधी नियम व शर्तें एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट sanchidairy.com/sanchisagar.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र क्रय व ई-निविदा ऑनलाईन अपलोड वेबसाइट :- http:// www.mptenders.gov.in पर किया जाना है।
4 . ई-टेण्डर का संक्षिप्त विवरण :-	
4.1	निविदाकर्ता राशि रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) का ई-निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं।

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

प्रपत्र –01

4.2	निविदा आमंत्रण हेतु समय-सारणी :-	
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	25-08-2023 दोपहर 01.00 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	14.09.2023 दोपहर 01.00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	14.09.2023 दोपहर 04.00 बजे तक
4	ऑफलाईन बंद लिफाफा कार्यालय में जमा करने की तिथि एवं समय	15.09.2023 शाम 04.00 बजे तक
5	तकनीकी निविदा ऑनलाईन खोलने की तिथि एवं समय	20.09.2023 दोपहर 01.00 बजे से
6	निविदा के साथ अनिवार्यतः ऑनलाईन जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी (EMD)	रुपये 5,00,000 /- (रुपये पांच लाख मात्र)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्राम –सिरोंजा, जिला– सागर (म.प्र.)
8	निविदा वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक से 6 माह तक

5 . कार्य का विवरण :-

5.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात श्रमिक ठेकेदार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र ग्राम-सिरोंजा हेतु प्रतिदिन लगभग 100 श्रमिकों तथा संघ कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों हेतु प्रतिदिन लगभग 105 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय-समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सफल निविदाकार द्वारा उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिक को शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों व सेवाकर्मों को एमपीसीडीएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों अनुसार कार्य की आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।
5.2	सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा, ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार श्रमिकों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा अतिरिक्त वसूली भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार हेतु मान्य व बंधनकारी होगा।
5.3	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यावधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।

6 – अर्नेस्ट मनी (EMD):—	
6.1	निविदाकार को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अर्नेस्ट मनी (EMD) रुपये 5,00,000 /—(रु. पांच लाख) Online जमा करना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्ट मनी (EMD) के निविदा अमान्य होगी।
6.2	मध्य प्रदेश राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में अर्नेस्ट मनी (EMD) के भुगतान से छूट रहेगी तथा उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण पत्र तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना होगा। निर्धारित समय-सीमा में भौतिक रूप से जमा की जाने वाली तकनीकी बिड के साथ उपयुक्त श्रेणी का पंजीयन प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा अमान्य होगी।
6.3	अर्नेस्ट मनी (EMD) पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
7 – सुरक्षा निधि :-	
7.1	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकदार को कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रुपये 35.00 लाख (रु पैंतीस लाख मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर.जी.एस. अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी के माध्यम से दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जमा सुरक्षा निधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
7.2	उक्त सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात् श्रमिक ठेकदार द्वारा संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं, कार्यालय शाखा प्रमुखों एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा ठेका अवधि में कार्यरत रहे समस्त ठेका श्रमिकों का संपूर्ण ई.पी.एफ अंशदान, ई.एस.आई अंशदान, एवं जी.एस.टी आदि राशि शासन के नियमानुसार देय राशि पूर्ण रूप से जमा होने का प्रमाण दिये जाने पर ही वापस की जावेगी।
8 – निविदा प्रपत्र भरने हेतु अनिवार्य तकनीकी अर्हताएँ :-	
8.1	प्रपत्र क्र० 02 (अ) में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं में आवश्यक व अनिवार्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर पृथक से जमा करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रपत्र क्र० 02 (ब) में विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तों का अवलोकन करे। निविदा में प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) अनुसार अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है साथ ही ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
8.2	कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य डेयरी संयंत्र, ग्राम –सिरोंजा कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक (उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल)/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु म.प्र. शासन अथवा अधिकृत निकाय/संस्था में विधिवत पंजीकृत/संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत वैध/जीवित अनुज्ञप्ति प्राप्त एकल ठेकदार/फर्म/सहकारी संस्था/एजेंसी जिसके पास किसी औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में विगत 03 वित्तीय वर्ष क्रमशः 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में श्रमिक प्रदाय का अनुभव अनिवार्यतः हो तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी औद्योगिक संस्थानों/दुग्ध संघों/खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन कम से कम 200 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों, का अनुभव होना चाहिये। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।
8.3	यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटिवश अथवा झूठी जानकारी दी जाती है अथवा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव बनाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी, और अर्नेस्ट मनी (EMD) जप्त कर ली जायेगी।
9 – निविदा की सामान्य नियम व शर्तें :-	
9.1	ई-निविदा स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के पास सुरक्षित रहेगा।
9.2	यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। जिसमें निविदाकर्ता (फर्म के मालिक/पार्टनर) स्वयं उपस्थित हो, यदि निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है तो प्रतिनिधि निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत होना चाहिये, (निविदाकर्ता के हस्ताक्षर से जारी अधिकृत पत्र)।

	इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9.3	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि / कर्मचारी बीमा योजना / ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों / उपक्रमों / विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त कर दिया जावेगा।
9.4	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा ठेकेदार, दुग्ध संघों / एमपीसीडीएफ के संचालक मण्डल के सदस्यों / उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों / उनके परिजनों एवं एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ का कोई भी कर्मचारी अथवा उस पर निर्भर परिवार के सदस्य निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है।
9.5	दुग्ध संघ स्तर पर निविदा हेतु गठित समिति द्वारा देय सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर न्यूनतम 3.50 प्रतिशत होना निर्धारित की गई है। अतः निविदाकार द्वारा भरे जाने वाले सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर 3.50 प्रतिशत से कम होने पर निविदाकार को श्रमिक ठेका हेतु प्रथमिकता नहीं दी जावेगी। एमपीसीडीएफ के पत्र क्रमांक 3578 / कय / एमपीसीडीएफ / दिनांक 21-10-2020 द्वारा जारी एमपीसीडीएफ / दुग्ध संघों हेतु संशोधित भण्डार कय / विकय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 निविदाकार द्वारा सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर यदि दशमलव में अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज दशमलव के बाद एक अंक तक ही मान्य होगा।
9.6	निविदाकार द्वारा ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनका बाद में हार्ड कॉपी से सत्यापन कराया जा सकता है।
9.7	निविदा में किसी प्रकार कांट-छांट या किसी अंश को जोड़ने पर उसे निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे अंश पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने की स्थिति में इसे अमान्य माना जायेगा।
9.8	निविदाकार द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत न करने पर ऐसी निविदा को अमान्य किया जायेगा। ऐसे निविदाकार जो निर्धारित निविदा के नियम व शर्तों को पूर्ण नहीं करेंगे वे भी निरस्ती योग्य होंगे।
9.9	अप्रत्याशित कारणों से निविदा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा तथा इस हेतु कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा।
9.10	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों / नियमों / अधिनियमों में संशोधन / परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन / संशोधन / समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
9.10.1	श्रमिक ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।
9.10.2	निविदा पूर्ण होने के पश्चात् एवं अनुबंध होने के पूर्व अनुबंधों की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।
9.11	निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था / एम.पी.सी.डी.एफ / दुग्ध संघ / सहकारी संस्था से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो निविदाकर्ता की अर्नेस्ट मनी (EMD) जप्त कर ली जावेगी। काली सूची में घोषित निविदाकार की निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
9.12	सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन एक्ट 1996" के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
9.13	निविदाकार को कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम दोनों में रजिस्ट्रेशन होना / पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदाकर्ता पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में

	प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। सफल निविदाकार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
9.14	निविदाकार को निविदा के साथ आयकर का PAN कार्ड की छायाप्रति तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 (कर निर्धारण वर्ष 2020-21), वित्तीय वर्ष 2020-21 (कर निर्धारण वर्ष 2021-22), एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 (कर निर्धारण वर्ष 2022-23) हेतु जमा किये गये आयकर के रिटर्न की स्वसत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना होगी।
9.15	निविदाकार को प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
9.16	सफल निविदाकार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिस हेतु रुपये 100/- का अंश खरीदना होगा परन्तु उसे वोट इत्यादि देने की पात्रता नहीं होगी।
9.17	निविदा स्वीकृत होने पर संघ के प्रबंधन द्वारा कार्यदेश दिये जाने की स्थिति में, निर्धारित समयसीमा में कार्य प्रारंभ न करने/सुरक्षा निधि जमा न करने/अनुबंध न करने की स्थिति में अर्नेस्ट मनी (EMD) जप्त कर द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता को नियमानुसार प्रथम न्यूनतम निविदाकार की दर पर श्रमिक ठेका दिया जा सकेगा।
9.18	निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तों तथा विवरणों में वर्णित अर्थात् लगाये गये श्रमिक का आशय श्रमिक/सेवाकर्मी माना जावे।
9.19	ई-निविदा की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जावे। निविदा संबंधी शर्तें एवं अन्य विस्तृत जानकारी एम.पी.सी.डी.एफ. की वेबसाइट sanchidairy.com/sanchisagar.com पर मात्र पठन हेतु उपलब्ध है। निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम में प्रकाशित नहीं होगा। अतः निरन्तर उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन किया जावे।
9.20	निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ./दुग्ध संघ/सहकारी संस्था में पूर्व में वैधानिक दायित्वों जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं जी.एस.टी. इत्यादि जमा नहीं किया गया है या समय पर जमा नहीं किया गया है अथवा निर्धारित समयावधि पश्चात् जमा किया गया है, तो ऐसे निविदाकार, इस निविदा हेतु अपात्र होंगे।
10 – मूल्यांकन की प्रक्रिया :-	
10.1	(एमपीसीडीएफ के पत्र क्रमांक 3578/कय/एमपीसीडीएफ/दिनांक 21-10-2020 द्वारा जारी एमपीसीडी एफ/दुग्ध संघों हेतु संशोधित भण्डार कय/विक्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2020 के अनुसार निविदा प्रक्रिया संपादित की जावेगी। निविदा खोलने की तिथि पर कुल कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं, इसकी जानकारी उपस्थित निविदाकारों को दी जायेगी।
10.2	निर्धारित अर्नेस्ट मनी (EMD) प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम तकनीकी बिड निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जावेगी तत्समय निविदाकारों अथवा उनके लेटर हेड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
10.3	जो निविदाकार आवश्यक तकनीकी बिड की शर्तों को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बिड को खोला जावेगा। निविदा समिति तकनीकी एवं वित्तीय बिड का मूल्यांकन एवं परीक्षण कर दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी को अपना प्रतिवेदन देगी।
10.4	सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात सफल निविदाकार का नाम घोषित किया जायेगा।
10.5	निविदाएं खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत होती हैं और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम दर निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
10.6	यदि एक से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिसमें निविदाकर्ता (फर्म के मालिक/पार्टनर) स्वयं उपस्थित हो, यदि निविदाकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है तो प्रतिनिधि निविदाकर्ता द्वारा अधिकृत होना चाहिये, (निविदाकर्ता के हस्ताक्षर से जारी अधिकृत पत्र)।

11 – अनुबंध की अवधि/निरस्तीकरण :	
11.1	श्रमिक ठेका अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्षों के लिए होगा तथा श्रमिक ठेका अवधि पूर्ण होने पर व श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी ।
11.2	निष्पादित अनुबंध को श्रमिक ठेकेदार अथवा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही श्रमिक ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त श्रमिक ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
11.3	निविदा स्वीकृत होने पर कार्य आदेश जारी होने की स्थिति में 15 दिवस में निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से अनुबंध हेतु रुपये 1,000/- (रु एक हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत कर अनुबंध का निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता है तो कार्यादेश निरस्त कर दिया जायेगा।
11.4	अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी वाद-विवाद के संबंध में सभी न्यायालयीन कार्यवाहियों के लिये क्षेत्राधिकार सागर (म.प्र.) स्थित न्यायालय रहेगा।
12 – ठेके पर श्रमिक/सेवाकर्मी रखे जाने हेतु सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार के लिए नियम व शर्तें :-	
12.1	प्रत्येक माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गई श्रमिक/सेवाकर्मी की उपस्थिति दुग्ध संघ कार्यालय द्वारा सत्यापित की जाकर श्रमिक ठेकेदार को देयक तैयार करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
12.2	प्रदाय की गई श्रमिक/सेवाकर्मी श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होंगे वे बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के कर्मचारी नहीं होंगे।
12.3	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई सर्विस चार्ज की दर अनुबंध की अवधि में निविदा में स्वीकृत अनुसार ही रहेगी।
12.4	निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व कार्यस्थल का भ्रमण कर सकता है।
12.5	यदि सफल निविदाकार ठेकेदार का मुख्यालय सागर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे सागर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार संपर्क इत्यादि उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
12.6	प्रत्येक पाली में सफल निविदाकार श्रमिक ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त/नियोजित पर्यवेक्षक को संपूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है, जिससे कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो रुपये 200/- प्रतिपाली अनुपस्थिति के मान से श्रमिक ठेकेदार के देयक से राशि कटौती की जायेगी। पाली के प्रारंभ व अंत में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
12.7	सफल निविदाकार श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशंसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रति पाली में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
12.8	श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर द्वारा समय – समय पर निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम मजदूरी राशि तथा एमपीसीडीएफ द्वारा समय-समय सेवाकर्मियों की दरें बढ़ाई जाने पर श्रमिक/सेवाकर्मी को समस्त पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है।
12.9	श्रमिक ठेकेदार को आवंटित ठेका किसी अन्य फर्म/एजेसी आदि को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो श्रमिक ठेका/अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
12.10	श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदत्त श्रमिक द्वारा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की किसी भी गोपनीय जानकारी को किसी अन्य को प्रकट नहीं की जायेगी।
12.11	सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों/नियमों (जो भी लागू हों) एवं भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन सुनिश्चित करना होगा। श्रमिक ठेकेदार को

	विभिन्न श्रम अधिनियमों, अंतर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। श्रमिक ठेकेदार की कार्य प्रणाली ऐसी हो कि किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा वैधानिक नियमों का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाता है, तो उसकी वसूली श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी, साथ ही ऐसी दशा में दुग्ध संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिए किये गये व्यय की वसूली श्रमिक ठेकेदार के देयक से की जावेगी व आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा। यदि किसी श्रम नियम/अधिनियम का उल्लंघन का प्रकरण संघ के संज्ञान में आता है तो अन्य कार्यवाहियों के अतिरिक्त अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
12.12	निविदाकार को सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा। सफल निविदाकार को अनुबंध पत्र के साथ 02 ब्लैंक चैक (मूलप्रतियां) एवं शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि श्रमिक ठेकेदार से यदि कोई लेन-देन शेष हो तो उस राशि की प्रतिपूर्ति दिये गये चैक से की जावेगी।
13 – श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय के लिए नियम एवं सेवा शर्तें :-	
13.1	श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुये कार्य करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रुपये 1,000/- के मान से कटौती किया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जावेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को कालीसूची (ब्लैक लिस्टेड) कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि आदि राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
13.2	संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है। श्रमिक द्वारा मदिरापान, धूम्रपान, गुटखा, पान, तम्बाकू इत्यादि का उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रु. 100/- प्रति श्रमिक के मान से वसूली अधिरोपित की जावेगी। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा।
13.3	प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा।
13.4	श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, काला चश्मा आदि पहनकर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन के मान से वसूली अधिरोपित की जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल की जावेगी।
13.5	संयंत्र परिसर में कोई भी श्रमिक टिफिन, बोतल, बैग इत्यादि लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा तथा दुग्ध संघ प्रबंधन/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित स्थान पर ही रखेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन के मान से वसूली श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित किया जाकर उनके देयकों से वसूल की जावेगी।
13.6	सफल निविदाकार द्वारा प्रबंधन की आवश्यकतानुसार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। यदि अतिरिक्त श्रमिक की आवश्यकता होगी तो संबंधित शाखा प्रमुख/प्रभारी दुग्ध शीत केन्द्र द्वारा ठेकेदार को यथा समय सूचना मौखिक दी जावेगी। श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा की वह प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। यदि आवश्यकतानुसार श्रमिकों की व्यवस्था व प्रशिक्षण कराने में श्रमिक ठेकेदार असफल होता है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को देय भुगतान से वसूल की जा सकेगी तथा अतिरिक्त वसूली भी अधिरोपित की जायेगी। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा श्रमिक ठेकेदार के लिये मान्य व बंधनकारी होगा।
13.7	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के परिसर में कार्य स्थल पर श्रमिकों द्वारा मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

13.8	श्रमिकों द्वारा सेवा त्याग देने, सेवा से हटाये जाने अथवा मृत्यु आदि होने पर श्रमिक ठेकेदार को उक्त श्रमिकों से उनका परिचय पत्र जमा कराना होगा।
13.9	श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की मशीनरी, उपकरणों को सावधानी एवं सुरक्षापूर्वक उपयोग करना होगा। किसी भी श्रमिक से गलती से या असावधानी से संघ की संपत्ति/मशीनरी/उपकरणों की क्षति/टूट-फूट/नुकसान होने पर मरम्मत अथवा नुकसान की लागत श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जा सकेगी।
14 – श्रमिक/सेवाकर्मियों को मजदूरी एवं अन्य स्वत्तों के भुगतान संबंधी शर्तें :-	
14.1	श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक ठेका श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईसी. के खाता खोलकर ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आईसी. अंशदान राशि के चालान तथा जी.एस.टी. राशि के चालान तैयार/जनरेट कर निर्धारित समय अवधि में संघ कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौती का ब्यौरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि "इस चालान द्वारा माहमें बुन्दलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/कार्यालय/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोड़ा नहीं गया है" इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के साथ देना अनिवार्य होगा। इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
14.2	यदि दुग्ध संघ में नियोजित किसी ठेका श्रमिक को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रदत्त मजदूरी के अतिरिक्त अन्य किसी राशि (भत्ता इत्यादि) का भुगतान श्रमिक ठेकेदार द्वारा बैंक के माध्यम से किया जाता है, तो तत्संबंधी देयक दुग्ध संघ की प्रशासन शाखा से पुष्टि उपरांत देयक की राशि का भुगतान/समायोजन श्रमिक ठेकेदार को किया जावेगा जिस पर सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।
14.3	श्रमिकों का ई.पी.एफ., ई.एस.आईसी. श्रमिक कल्याण निधि इत्यादि का नियमानुसार कटौती करने की संपूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। नियमानुसार कटौती निर्धारित समय पर जमा करने की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
14.4	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरुद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 10,000/- प्रतिमाह का वसूली अधिरोपित की जावेगी। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
14.5	श्रम नियमानुसार सप्ताहिक अवकाश, कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। जिसका देयक श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ को प्रस्तुत करने पर देयक का भुगतान दुग्ध संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को किया जायेगा।
14.6	श्रमिकों/सेवाकर्मियों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि भुगतान करने में यदि श्रमिक ठेकेदार विफल हो जाता है या नियमानुसार जमा योग्य अन्य राशि जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि से या देय योग्य अन्य राशि में से संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार से भूराजस्व की बकाया राशि की भाँति वसूल की जावेगी तथा श्रमिक ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य

	कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
14.7	यदि किसी माह में श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक ठेकेदार को उक्त माह के सर्विस चार्ज का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 10,000/- की वसूली अधिरोपित की जावेगी।
14.8	श्रमिक ठेका आवंटन के कार्यादेश दिनांक से एक माह की अवधि में श्रमिक ठेकेदार को सभी श्रमिकों के बैंक एकाउंट खोलना अनिवार्य होगा तथा श्रमिकों के वेतन व अन्य स्वत्वों का भुगतान बैंक एकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान/कम भुगतान की जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी, प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सभी श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर संघ को बैंक खातों की सूची की प्रति दी जावेगी।
14.9	श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
14.10	श्रमिक ठेकेदार के देयकों से नियमानुसार आयकर का कटौती कर दुग्ध संघ द्वारा आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत संघ द्वारा किये गये आयकर कटौती का विवरण/प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जायेगा।
14.11	श्रमिक ठेकेदार द्वारा गत माह में किये गये कार्यों/लगाये गये श्रमिकों का संबंधित शाखा प्रमुखों द्वारा शाखावार सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर देयक दो प्रतियों में तैयार कर प्रत्येक माह की 02 तारीख तक संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक प्रस्तुत किये गये कुल देयक राशि का 60 प्रतिशत राशि श्रमिक ठेकेदार को संघ द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर भुगतान कर दिया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान प्राप्त करने के उपरांत प्रति माह अनिवार्य रूप से कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार बैंक के माध्यम से प्रति माह की 07 तारीख के पूर्व वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। श्रमिकों को श्रमिक ठेकेदार के द्वारा प्रत्येक माह में भुगतान किये गये भुगतान पत्रक की प्रमाणित छायाप्रति एवं उनके ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अंशदान राशि के चालान एवं जी.एस.टी. राशि के चालान तैयार कर/जनरेट कर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक संघ कार्यालय में जमा करने होंगे। उसके उपरांत श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अंशदान राशि एवं जी.एस.टी. राशि के चालान शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संघ स्तर से सीधे जमा कर दिये जावेंगे। उपरोक्त भुगतान की जाने वाली राशि का समायोजन/कटौती श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह 02 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत/जमा किये गये देयकों से कर लिया जावेगा। एवं शेष राशि श्रमिक ठेकेदार को समायोजन/कटौती उपरांत दुग्ध संघ के पास राशि की उपलब्धता अनुसार भुगतान कर दी जावेगी। वेतन पत्रक में वैधानिक एवं नियमानुसार अन्य कटौती का विवरण सम्पूर्ण रूप से दर्शाना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि पूर्ण भुगतान की जबाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा।
14.12	श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों (दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर एवं संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापन के आधार पर टी.ए. माईलेज भत्ता, वाहन चालक भत्ता आदि) का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्ज का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।
14.13	यदि निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि होती है तो कार्यालय की प्रति ही मान्य होगी।

15 – कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों/सेवाकर्मियों के संबंध में श्रमिक ठेकेदार के दायित्व :-

15.1	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों/सेवाकर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के 10 दिवस में अनिवार्य रूप से परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
15.2	श्रमिक ठेकेदार को कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को फैंक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि भी देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड रखना होगा।

	एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर भी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15.3	श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैट, एक जोड़ी जूते), ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का वसूली अधिरोपित की जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल की जावेगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रु 1,500/- (दो बुशर्ट एवं दो पैट के 1200/- रु तथा एक जोड़ी जूते के 300/-रु) के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा।
15.4	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात् श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई.सी. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रु. 1000/- की वसूली श्रमिक ठेकेदार पर लगाई जावेगी। श्रमिक ठेकेदार यदि सागर शहर से बाहर का है, तो उन्हें अनुबंध के उपरांत कर्मचारी राज्य बीमा, सागर कार्यालय का सब कोड (Sub Code) तत्काल लेना आवश्यक है, जिससे कि श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर चिकित्सा लाभ ले सके तथा चिकित्सा अवकाश अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभाग से कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
15.5	श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार एवं कारखाना अधिनियम के परिपालन में सामान्यतः एक से अधिक पाली में निरंतर श्रमिकों को कार्य पर नहीं रखेगा। श्रमिक ठेकेदार श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह कार्य कराये, इस हेतु रिलीवर की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी, जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसा नहीं पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं वसूली अधिरोपित की जा सकेगी। ठेकेदार को श्रमिकों की संख्या के आधार पर भुगतान न करते हुए मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जायेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न कराये।
15.6	श्रमिक ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य हेतु उपलब्ध कराये जा रहे श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल)/सेवाकर्मी निविदा में दी गई शर्तों व मापदण्ड, के अनुरूप हो।
15.7	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये प्रत्येक श्रमिक का बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन रिकार्ड हेतु दुग्ध संघ कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।
15.8	यदि किसी व्यक्ति को दुग्ध संघ कार्यालय सुरक्षा कारणों, अक्षमता, अनुचित व्यवहार, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित होने के कारण अस्वीकार करता है, तो श्रमिक ठेकेदार द्वारा उसे तत्काल बदला जाना होगा।
15.9	श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न विवाद/समस्याएं/शिकायत को निराकृत करने की जिम्मेदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी।
15.10	किसी श्रमिक के द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्य छोड़ने पर श्रमिक ठेकेदार को तत्काल प्रतिस्थापन उपलब्ध कराना होगा।
15.11	निविदाकार को अनुबंध निष्पादन की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15.12	श्रमिक ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रुपये 1,000/- तक वसूली ठेकेदार पर अधिरोपित की जा सकेगी।
15.13	प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी (वर्ष में दो बार चिकित्सा जाँच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा वसूली भी अधारोपित की जायेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित किये गये ठेका श्रमिकों को कोरोना (कोविड-19) के दोनों टीके लगे होना अनिवार्य होगा।
15.16	कान्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एंड ऐबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत निविदाकार के पास श्रमिक प्रदाय हेतु वैध जीवित लायसेंस होना आवश्यक तथा उक्त लायसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

16 – वसूली/कटौती:-

16.1	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री-पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेट्स या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीड़े/मकौड़े/बाल/काँच का टुकड़ा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।												
16.2	ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि (Security) जप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। निविदा/अनुबंध की शर्तों का समय-समय पर दिये गये आदेश/निर्देशों का पालन करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा आदेश क्रियान्वयन में विलम्ब होता है, सेवा प्रदाय करने में विफल होता है तो ऐसी स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए व काली सूची में डाला जाकर दुग्ध संघ अपने स्रोत अन्य ठेकेदार से श्रमिक को रखा जाकर उनसे कार्य लिया जाकर मेहनताना या जो भी भुगतान करेगा अर्थात कार्य पर भी खर्च/व्यय होगा, उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार से की जाकर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति देय होगी। <table><tr><th>क्रमांक</th><th>विलंब की अवधि</th><th>क्षतिपूर्ति राशि रु</th></tr><tr><td>1</td><td>एक माह तक</td><td>लागत का 1 प्रतिशत</td></tr><tr><td>2</td><td>1 से 2 माह तक</td><td>लागत का 2 प्रतिशत</td></tr><tr><td>3</td><td>2 माह से अधिक</td><td>लागत का 5 प्रतिशत</td></tr></table>	क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु	1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत	2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत	3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत
क्रमांक	विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति राशि रु											
1	एक माह तक	लागत का 1 प्रतिशत											
2	1 से 2 माह तक	लागत का 2 प्रतिशत											
3	2 माह से अधिक	लागत का 5 प्रतिशत											
16.3	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेंसियों से पृथक-पृथक स्थितिवार की जावेगी :- 16.3 (i) – दुग्ध को संबंधित पैकेजिंग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिफ्ट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डाक तक लाने में पूर्णतः श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक की जवाबदारी होगी। यदि क्रेट्स में निर्धारित क्षमता से अधिक दूध पैकेट पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक पाये गये दूध पैकेट की राशि की 20 गुना राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी।												

16.3 (ii) — वाहन में परिवहन के लिये डेरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में “दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक—सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना राशि एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना राशि की वसूली समानुपात में तीनों एजेंसीज (पक्षों) से की जावेगी। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

16.3 (iii) — दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात् डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म.प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गयी मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसीज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक—सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना वसूली दोनों एजेंसीज (पक्ष) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना वसूली दोनों पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामों पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामों में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।

17 ठेके पर रखे गये श्रमिकों/सेवाकर्मियों की दुर्घटना, चोट लगने अथवा दुग्ध संघ की सम्पत्ति का नुकसान होना

17.1 श्रमिक ठेकेदार को किसी भी ठेका श्रमिक/सेवाकर्मी को कार्य के दौरान चोट लगने, मृत्यु होने की दशा में श्रम नियम अनुसार शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए देय मुआवजा एवं अन्य स्वत्तों का भुगतान संबंधित विभाग से कराने की सम्पूर्ण जबाबदारी श्रमिक ठेकेदार की होगी। उपरोक्त के संबंध में प्रबंधन की किसी भी प्रकार की कोई जबाबदारी नहीं होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
सागर

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझकर ही प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-
दिनांक :-

नाम :-
पत्राचार हेतु पता :-

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
सागर।

महोदय,

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र, कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में आवश्यक सेवाओं को संपादित करने के लिये ठेके पर श्रमिक/सेवा कर्मियों को प्रदाय करने हेतु दिनांक 25.08.2023 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तों एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा अर्नेस्ट मनी (EMD) राशि रुपये 5,00,000/- (रु. पांच लाख) को Online जमा कर पावती निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ एवं तकनीकी अर्हताये के लिये प्रमाण पत्र के तौर पर वांछित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र०	आवश्यक अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है या नहीं अंकित करें / विवरण दें	दस्तावेज संलग्न के पृष्ठों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण पत्र)	पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	
2	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	हाँ/नहीं	
3	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।	हाँ/नहीं	
4	श्रमिक ठेके संबंधी जीवित लायसेंस क्रमांक।	श्रम विभाग का पत्र/प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	
5	कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं.	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	
6	कर्मचारी राज्य बीमा कोड नं.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय का पता एवं जारी प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	
7	जी.एस.टी. पंजीयन कोड	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	
8	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21	PAN कार्ड की छायाप्रति एवं	हाँ/नहीं	

	एवं 2021-2022 का आयकर का रिटर्न जमा करने का प्रमाण।	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं प्रमाण।		
9	वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-2022 का टर्न ओवर प्रतिवर्ष राशि रुपये तीन करोड़ से अधिक अनिवार्यतः होना चाहिए।	Chartered Accountant द्वारा प्रमाणित वित्तीय पत्रक एवं लाभ/हानि खाते (Profit & Loss A/C) की प्रमाणित छायाप्रति तथा ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 3 सी ए/ 3 सी बी (जो भी लागू हो) एवं 3 सी डी)।	हाँ/नहीं	
10	औद्योगिक संस्थानों/ दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में गत 03 वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में ठेके पर श्रमिक प्रदाय किये हों तथा वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022 - 2023 में प्रति वित्तीय वर्ष में किसी औद्योगिक संस्थानों/ दुग्ध संघों/ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में न्यूनतम 200 दिन तक औसतन किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 श्रमिक प्रतिदिन प्रदाय किये हों (संस्था का नाम व पता जहाँ श्रमिक प्रदाय किये गये हों)	नियोक्ता के कार्य आदेश की प्रति एवं अनुभव का वांछित अनुसार सत्यापित प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं	
11	भविष्य निधि अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में जमा कराये गये ई.पी.एफ की राशि के चालानों की छायाप्रति।	हाँ/नहीं	
12	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान शत प्रतिशत जमा होने का प्रमाण।	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-2023 में जमा कराये गये ई.एस.आई की राशि के चालानों की छायाप्रति।	हाँ/नहीं	
13	कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में प्रकरण/वाद आदि विचाराधीन /लंबित न होने का शपथ-पत्र।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	हाँ/नहीं	
14	क्या निविदाकर्ता का सागर शहर में कार्यालय है।	यदि हाँ, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	हाँ/नहीं	
15	क्या आपकी संस्था बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	हाँ/नहीं	
16	क्या आपकी संस्था एम.पी.सी.डी.एफ /इन्दौर / उज्जैन / जबलपुर/ भोपाल/ग्वालियर सहकारी दुग्ध	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	हाँ/नहीं	

	संघों में पूर्व में भी कभी कार्य कर चुकी है अथवा कर रही है।			
17	क्या आपकी संस्था का एम.पी.सी.डी. एफ / इन्दौर / उज्जैन / जबलपुर / भोपाल / ग्वालियर / बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई. एस.आई एवं सर्विस टेक्स/जी.एस. टी. का कोई विवाद तो पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।	यदि विवाद नहीं है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	हाँ/नहीं	
18	क्या उक्त संस्थाओं से आपकी निविदा को निरस्त किया गया है ?	यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें।	हाँ/नहीं	
19	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी. सी.डी.एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है ?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	हाँ/नहीं	
20	निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ/सहकारी संस्था में पूर्व में वैधानिक दायित्वों जैसे ई.पी.एफ., ई. एस.आई.सी. एवं जी.एस.टी. इत्यादि जमा नहीं किया गया है या समय पर जमा नहीं किया गया है अथवा निर्धारित समयावधि पश्चात् जमा किया गया है।	ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं जी. एस.टी. इत्यादि समय पर जमा किया गया है, तो नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	हाँ/नहीं	
21	अर्नेस्ट मनी (EMD)	निर्धारित अनुसार राशि रु 5.00 लाख (अक्षरी रु. पांच लाख) जमा कराई गई।	हाँ/नहीं	

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा की शर्त तथा अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान :-

दिनांक :-

नाम :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

प्रपत्र –02 (ब)

❖ तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा कराने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश व शर्त :-

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है अथवा विवरण प्रेषित किया गया है, का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्या., सागर को संबोधित पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता में उल्लेखित समस्त वांछित शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. प्रपत्र क0 02 (अ) में अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं में आवश्यक व अनिवार्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर पृथक से जमा करना अनिवार्य है। इस हेतु प्रपत्र क0 02 (ब) में विस्तृत जानकारी तथा नियम व शर्तों का अवलोकन करे। निविदा में प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) अनुसार अनिवार्य तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति ऑनलाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है साथ ही ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
3. निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
4. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
5. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही भाव दरें ऑनलाइन खोली जायेंगी।
6. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ ई.पी.एफ चालानों पर अंकित श्रमिकों की संख्या को ही आधार माना जायेगा।
7. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 02 (अ) में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा तथा इस हेतु निर्धारित अर्हताओं के संलग्न दस्तावेजों में पृष्ठ क्रमांक अंकित कर प्रपत्र 02 (अ) के कॉलम क्रमांक 05 में उक्त पृष्ठ क्रमांक दर्शाया जाना अनिवार्य है।
8. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारीयों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर अर्नेस्ट मनी (EMD) तथा सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी।
9. निविदाकार द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये दस्तावेज ही मान्य होंगे, जिनका बाद में हार्ड कॉपी से सत्यापन कराया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ,
सागर

उपरोक्त निविदा की समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए भाव दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान
दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर मय सील

नाम :
पत्राचार हेतु पता :
दूरभाष / मो.नं.

(प्रपत्र क्रमांक 02 – तकनीकी अर्हता क्रमांक 13 के संबंध में राशि रु 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ-पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....
शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म के विरुद्ध कारखाना एवं श्रम विभाग/न्यायालय में कोई प्रकरण/वाद आदि न तो विचाराधीन है और न ही लंबित है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

(प्रपत्र क्रमांक 02 — तकनीकी अर्हता क्रमांक 17,19 एवं 20 के संबंध में राशि रु 100/— के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप)

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता).....(पंजीयन क्रमांक).....शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि :-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मके विरुद्ध एम.पी.सी.डी.एफ/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/भोपाल/ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघों में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. एवं सर्विस टैक्स/जी.एस.टी का कोई विवाद पंजीकृत/विचाराधीन नहीं है।
3. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मद्वारा किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघों/सहकारी संस्था में पूर्व में वैधानिक दायित्वों जैसे ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं जी.एस.टी. इत्यादि की सम्पूर्ण राशि इस हेतु निर्धारित समय पर जमा की गई है।
4. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्मको किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघों द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
5. निविदा प्रपत्र की शर्तें क्रमांक 9.20 अनुसार अपात्र नहीं हूँ।
6. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर शपथकर्ता

सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 से 6 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

“भाव पत्र/दर”

(अ) निम्न मदों में संघ द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी :-

क्र	विवरण
1	मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम मजदूरी)
2	बोनस अधिनियम अनुसार न्यूनतम बोनस
3	टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय की गई राशि
4	श्रमिक कल्याण निधि नियोक्ता अंशदान
5	वर्कमैन कम्पेन्सेशन एक्ट के अंतर्गत दुर्घटना समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान (बीमा राशि रु. 1,00,000 /- प्रति श्रमिक)
6	कारखाना अवकाश का ओव्हर टाइम एवं सवैतनिक अवकाश का भुगतान

नोट:-

1	ठेकेदार को मानव दिवस (Manday) के आधार पर भुगतान किया जावेगा ।
2.	‘अ’ मद में प्रतिपूर्ति हेतु भुगतान प्रमाणक की मूल प्रति श्रमिकों की सूची सहित प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) निम्न मदों में संघ स्तर से नियमानुसार अंशदान राशि जमा करायी जावेगी :-

क्र	विवरण
1	कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
2	कर्मचारी राज्य बीमा योजना नियोक्ता अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।
3	जी.एस.टी अंशदान – श्रमिक ठेकेदार द्वारा ऑनलाइन चालान जनरेट कर प्रस्तुत करने पर।

(स) निम्न मद हेतु निविदाकार अपनी न्यूनतम दर प्रस्तुत करें जिसका भुगतान संघ द्वारा किया जावेगा :-
(केवल ऑनलाइन के माध्यम से अपनी दर प्रस्तुत करें)

क्र	विवरण	मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर प्रतिशत
1.	सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज	

नोट :- निविदाकार द्वारा सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज की दर यदि दशमलव में अंकित की जाती है तो ऐसी स्थिति में सुपरविजन एवं सर्विस चार्ज दशमलव के बाद एक अंक तक ही मान्य होगा।

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

नाम :-

पत्राचार हेतु पता :-

दूरभाष/मो.नं. :-

प्रपत्र-04

कार्यालय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

सफल निविदाकार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के मुख्य डेयरी संयंत्र, कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में श्रमिक/सेवाकर्मी प्रदाय करना है, उपरोक्त का विवरण निम्नानुसार है।

(अ) मुख्य डेयरी संयंत्र, ग्राम -सिरोंजा, जिला-सागर (म0प्र0)।

(ब) कार्यालय, सागर।

(स) समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों की सूची।

1. दमोह
2. हटा
3. राजनगर
4. बिजावर
5. टीकमगढ़
6. जतारा
7. पन्ना
8. अजयगढ़

नोट :- संघ द्वारा यदि कोई नवीन दुग्ध शीत केन्द्र/मिनी दुग्ध संयंत्र की स्थापना की जाती है, तो वह भी सूची में समाहित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
सागर

:: अनुबंध पत्र ::

आज दिनांक ----- को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेगें तथा मेसर्सजिला जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेगें, के मध्य बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर, मुख्य डेयरी संयंत्र सिरोंजा, सागर, कार्यालय एवं समस्त दुग्ध शीत केन्द्रों में संयंत्र एवं अन्य कार्य हेतु दुग्ध संघ की मांग अनुसार मानव दिवस (मेनडेज) के आधार पर श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल एवं अन्य) प्रदाय करने के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा श्रमिक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :-

1	श्रमिक ठेका अवधि दिनांक से तक तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा, तथा श्रमिक ठेका अवधि पूर्ण होने पर व श्रमिक ठेकेदार का कार्य संतोषप्रद होने पर प्रबंध पक्ष द्वारा आपसी सहमति से अनुबंध अवधि में आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष करके अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
2	श्रमिक ठेकेदार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के प्रबंधन की मांग अनुसार मुख्य डेयरी संयंत्र सागर एवं शीतकेन्द्रों हेतु लगभग 205 श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी एवं कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई/घटाई जा सकती है। वर्तमान में दुग्ध संघ के दमोह, हटा, राजनगर, बिजावर, टीकमगढ़, जतारा, पन्ना, अजयगढ़ में शीतकेन्द्र स्थापित हैं। भविष्य में इनमें से कोई भी शीतकेन्द्र बंद किया जा सकता है अथवा नये शीतकेन्द्र खोले जा सकते हैं।
3	श्रमिक ठेकेदार को सौंपा हुआ कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर ठेका निरस्त करने अर्नेस्ट मनी (EMD) जप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
4	कान्ट्रैक्ट लेबर (रेग्युलेशन एवं ऐंबोलीशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेकेदार के पास ठेका श्रमिक प्रदाय हेतु लायसेंस होना आवश्यक है तथा उसे समस्त श्रम अधिनियमों व प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा व भविष्य में होने वाले संशोधनों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
5	श्रमिक ठेकेदार को कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन होना/पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करनी होगी एवं मूलप्रति से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा है तथा श्रमिक ठेकेदार पर कारखाना अधिनियम एवं श्रम विभाग में प्रकरण/विवाद आदि लंबित/विचाराधीन नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रेषित शपथ पत्र बाद में असत्य पाये जाने पर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
6	श्रमिक ठेकेदार को अनुबंध निष्पादन की दिनांक से 10 दिवस की अवधि में समस्त श्रमिकों की जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। बीमा कंपनी द्वारा भुगतान कम करने/न करने या ठेकेदार/बीमा कंपनी द्वारा विलंब से भुगतान करने की स्थिति में यदि मुआवजे, पेनाल्टी/ब्याज की देयता आती है तो वह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी व संघ से भुगतान किये जाने की दशा में संघ द्वारा ठेकेदार से वसूल की जावेगी। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। श्रम नियमानुसार समस्त वर्तमान प्रावधानों व भविष्य में शासन द्वारा किये जाने वाले संशोधनों का पालन ठेकेदारों को करना आवश्यक है। प्रत्येक श्रमिक का ई.एस.आई.सी. कार्ड बनवाकर एक माह में देना अनिवार्य होगा। ई.एस.आई.सी. संबंधित कोई भी शिकायत पाये जाने पर प्रत्येक श्रमिकवार राशि रु. 1000/- की वसूली श्रमिक ठेकेदार पर अधिरोपित की जावेगी।
7	श्रमिक ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु नियोजित श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं कार्य करने वाले श्रमिक की शारीरिक क्षमता कार्य के योग्य होना चाहिए। इस संबंध में प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा। यदि किसी कार्य हेतु प्रबंध पक्ष द्वारा महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया जाता है तो उनकी कार्यवधि प्रातः 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे के मध्य तक रहेगी। रात्रि में महिला श्रमिक को कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
8	निविदा स्वीकृत होने पर श्रमिक ठेकेदार को कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस की समयसीमा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि (Security Deposit) राशि रुपये 35.00 लाख (रु पैंतीस लाख मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/आर.टी.जी.एस. अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की गारंटी के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के नाम से जमा करनी होगी। दुग्ध संघ द्वारा जमा सुरक्षा निधि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। प्रदायित श्रमिकों को भुगतान होने वाली न्यूनतम मजदूरी की एक माह की राशि यदि उक्त जमा सुरक्षा निधि से अधिक होती है तो अंतर की राशि सुरक्षा निधि स्वरूप जमा करना अनिवार्य होगा।

	उक्त सुरक्षा निधि ठेका समाप्त होने के पश्चात् संघ के समस्त विभागों से अदेय प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा कार्यालय एवं जी.एस.टी. आदि से सम्पूर्ण ठेकावधि की निरीक्षण टीप (एन.ओ.सी.) संघ में जमा कराने के पश्चात् ही वापिस की जावेगी। 02 ब्लैंक चैक मूलप्रति एवं शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा, जिसमें स्पष्ट हो कि श्रमिक ठेकेदार से यदि कोई लेन-देन शेष हो तो उस राशि की प्रतिपूर्ति दिये गये चैक से की जावेगी।
9	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक गत माह में किये गये कार्य/लगाये गये श्रमिकों का संबंधित शाखा प्रमुखों द्वारा शाखावार सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर देयक दो प्रतियों में तैयार कर प्रत्येक माह की 02 तारीख तक संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक प्रस्तुत किये गये कुल देयक राशि का 60 प्रतिशत राशि श्रमिक ठेकेदार को संघ द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत कर भुगतान कर दिया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा संघ से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान प्राप्त करने के उपरांत प्रति माह अनिवार्य रूप से कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार प्रदत्त मजदूरी का भुगतान अनिवार्यतः शत प्रतिशत बैंक खाते के माध्यम से प्रति माह की 07 तारीख के पूर्व वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि समस्त ठेका श्रमिकों के बैंक खाते खुले हो एवं जिन ठेका श्रमिकों के बैंक खाते नहीं हो उनके बैंक खाते खुलवाये जावें, ठेका श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रमिक ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची (Salary Slip) दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। श्रमिकों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ठेकेदार द्वारा समस्त श्रमिकों को वेतन पर्ची दी जावेगी, जिसकी एक प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगा। श्रमिकों को श्रमिक ठेकेदार के द्वारा प्रत्येक माह में भुगतान किये गये भुगतान पत्रक की प्रमाणित छायाप्रति एवं उनके ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अंशदान राशि के चालान एवं जी.एस.टी. राशि के चालान तैयार कर/जनरेट कर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक संघ कार्यालय में जमा करने होंगे। उसके उपरांत श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अंशदान राशि एवं जी.एस.टी. राशि के चालान शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संघ स्तर से सीधे जमा कर दिये जावेंगे। उपरोक्त भुगतान की जाने वाली राशि का समायोजन/कटौती श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह 02 तारीख तक संघ कार्यालय में प्रस्तुत/जमा किये गये देयकों से कर लिया जावेगा। एवं शेष राशि श्रमिक ठेकेदार को समायोजन/कटौती उपरांत दुग्ध संघ के पास राशि की उपलब्धता अनुसार भुगतान कर दी जावेगी। वेतन पत्रक में वैधानिक एवं नियमानुसार अन्य कटौती का विवरण सम्पूर्ण रूप से दर्शाना होगा। मजदूरी से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि पूर्ण भुगतान की जबाबदारी ठेकेदार की होगी। प्रबंधन इस संबंध में जबाबदार नहीं होगा।
10	मजदूरों को नियमानुसार देय राशि में से कोई राशि देने में ठेकेदार विफल हो जाता है या भविष्य निधि, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अंशदान राशि के चालान एवं जी.एस.टी. राशि के चालान तैयार कर/जनरेट कर संघ कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि से या देय योग्य राशि में से दुग्ध संघ ठेकेदार के नाम से जमा करा देगा और शेष बची राशि वापस करेगा या ज्यादा राशि होगी तो ठेकेदार के भूराजस्व की बकाया की भांति वसूल कर सकेगा। श्रमिक ठेकेदार को प्रत्येक ठेका श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. खाता खोलकर ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अंशदान राशि के चालान तैयार कर/जनरेट कर निर्धारित समयावधि में संघ कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई के कटौती का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेखित करना होगा सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक पर ही देय होगा।
11	म.प्र. श्रम कल्याण निधि संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार ठेके के अंतर्गत श्रम कल्याण निधि में प्रत्येक 06 माह में प्रति ठेका श्रमिक रुपये 10/- एवं नियोजक द्वारा रुपये 30/- जमा कराया जाना आवश्यक है। इस संबंध में यदि कोई जुर्माना अथवा पेनाल्टी लगती है तो श्रमिक ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
12	प्रत्येक पाली में ठेकेदार या उसके पर्यवेक्षक का सम्पूर्ण अवधि में उपस्थित रहना आवश्यक है। जिससे कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सके एवं किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सके। यदि पर्यवेक्षक किसी पाली में उपस्थित नहीं पाया जाता है तो प्रति पाली अधिकतम रुपये 1000/- का वसूली देयक से की जावेगी। पाली के प्रारंभ एवं अन्त में शाखा प्रभारी से किये गये कार्य का सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।
13	श्रमिक ठेकेदार द्वारा रखे गये श्रमिक को फ़ैक्ट्री एक्ट के अनुसार हाजिरी कार्ड, परिचय पत्र, अवकाश कार्ड, अतिरिक्त समय कार्ड आदि देने होंगे एवं उसे पूर्ण करना तथा व्यवस्थित रिकार्ड ठेकेदार को पूरा रखना होगा एवं समय-समय पर शासन के अधिकृत निरीक्षकों/अधिकारियों से सत्यापन कराना होगा तथा संघ द्वारा मांग करने पर उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14	संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में मदिरापान, धूम्रपान या अन्य कोई भी नशा करना या जुआ खेलना पूर्णतः वर्जित है एवं उपयोग करते हुये पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के ऊपर रु. 100/- प्रति श्रमिक के मान से वसूली अधिरोपित की जावेगी। श्रमिक द्वारा लगातार यह कृत्य किये जाने पर उसे भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जायेगा। किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य लिप्त पाये जाने/अनुशासनहीनता करने हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आदि करने

	पर संबंधित श्रमिक को पारिश्रमिक देय नहीं होगा तथा ऐसे श्रमिकों को तत्काल प्रभाव से कार्य से हटाना होगा एवं श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध प्रति श्रमिक रुपये 1,000/- के मान से कटौती किया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जावेगी। दोषी पाये गये श्रमिकों को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा।
15	यदि ठेकेदार के श्रमिक की गलती से या असावधानी से दुग्ध, दुग्ध पदार्थ या संघ की सम्पत्ति को क्षति होती है या वे किसी प्रकार की चोरी, जानबूझ कर नुकसान करने आदि में संलग्न पाये जाते हैं तो प्रबंध पक्ष द्वारा क्षति की राशि का पांच गुना एवं चोरी की स्थिति में सामग्री की राशि के दस गुना अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। उसकी वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी तथा इसके संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। ऐसे कार्य में लिप्त श्रमिक को भविष्य में कार्य पर नहीं लिया जा सकेगा।
16	श्रमिक ठेकेदार को ठेके के अंतर्गत प्रदत्त श्रमिक अच्छे आचरण एवं चरित्र के देना होंगे। उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रुपये 1,000/- तक वसूली ठेकेदार पर अधिरोपित की जा सकेगी।
17	श्रमिक ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुशासित रहेंगे एवं उन्हें प्रबंधन की सेवा शर्तों का पालन करते हुये कार्य करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों द्वारा किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है या किसी भी प्रकार के असंवैधानिक कृत्य/अनुशासनहीनता में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रुपये 1,000/- के मान से कटौती किया जावेगा जिसकी वसूली ठेकेदार के देयकों में से की जावेगी। यदि ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को सेवा से पृथक नहीं किया जाता है व अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को कालीसूची (ब्लैक लिस्टेड) कर ठेका समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमा सुरक्षा निधि आदि राशि को भी जप्त किया जा सकेगा।
18	प्रबंधन के निर्देशानुसार ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जाँच करवानी होगी (वर्ष में दो बार चिकित्सा जाँच कराना अनिवार्य होगा) तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (माह जनवरी एवं जुलाई में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर व्यय की प्रतिपूर्ति संघ द्वारा की जावेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूट की बीमारी या अन्य कोई गंभीर संक्रामक बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा वसूली भी अधारोपित की जायेगी। श्रमिक ठेकेदार द्वारा नियोजित किये गये ठेका श्रमिकों को कोरोना (कोविड-19) के दोनों टीके लगे होना अनिवार्य होगा।
19	श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की समयसीमा में ठेकेदार द्वारा कार्य पर रखे गये समस्त श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई दो गणवेश (दो बुशर्ट, दो पैंट, एक जोड़ी जूते), ठेकेदार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी। महिला श्रमिकों को कार्य पर रखे जाने पर श्रमिक ठेकेदार को उन्हें भी प्रबंधन द्वारा निर्धारित की गई रंग की दो गणवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे कार्य जैसे- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पादन व पैकिंग किया जाता है, वहां पर कार्यरत श्रमिक को एप्रेन, टोपी, मास्क, हेण्ड ग्लव्स, शू-कवर्स आदि भी ठेकेदार को स्वयं के व्यय से उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रमिक ठेकेदार से रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का वसूली अधिरोपित की जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल की जावेगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिक ठेका आवंटन दिनांक से एक माह की अवधि में अपने समस्त श्रमिकों को उपरोक्तानुसार गणवेश प्रदाय नहीं की जाती है, तो प्रबंधन द्वारा उनके देयकों से प्रति श्रमिक राशि रु 1,500/- (दो बुशर्ट एवं दो पैंट के 1200/- रु तथा एक जोड़ी जूते के 300/-रु) के हिसाब से गणवेश की राशि रोक ली जावेगी तथा श्रमिक ठेकेदार द्वारा अपने समस्त श्रमिकों को गणवेश प्रदाय की जाने के पश्चात् ही उक्त राशि का भुगतान श्रमिक ठेकेदार को वापस किया जा सकेगा। निर्धारित गणवेश के बिना संघ में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। प्रत्येक श्रमिक को कार्य पर उपस्थिति के दौरान

	स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रमिक कार्य पर उपस्थिति के समय अंगूठी, घड़ी, बिंदी, छाता, काला चश्मा (नजर के चश्मे को छोड़कर) पहनकर कार्य नहीं करेगा व कार्य के दौरान मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, अन्यथा रु. 100/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन के मान से वसूली अधिरोपित की जाकर श्रमिक ठेकेदार के देयकों से वसूल की जावेगी।
20	समय-समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर ठेकेदार को तदनुसार श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को उसके कर्मचारियों पर लागू होने वाले समस्त श्रम अधिनियम व कारखाना अधिनियम तथा अन्य वैधानिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि ठेकेदार इन नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में संघ द्वारा नियमों का पालन करने के लिये किये गये व्यय की वसूली ठेकेदार के देयक से की जावेगी।
21	श्रमिक ठेकेदार के देयक से आयकर का नियमानुसार टीडीएस कटौत कर आयकर विभाग में जमा किया जावेगा एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरांत ठेकेदार द्वारा संघ से किये गये कटौत का विवरण प्राप्त किया जा सकेगा।
22	श्रमिक ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक के नाम से ई.पी.एफ./ई.एस.आई खाता खोलना होगा तथा प्रतिमाह ई.पी.एफ./ई.एस.आई का अंशदान नियमानुसार जमा कराने हेतु ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान के सत्यापित ऑनलाइन चालान एवं सत्यापित ऑनलाइन सूची जनरेट कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि दुग्ध संघ स्तर से निर्धारित तिथि तक सीधा भुगतान किया जा सके। श्रमिक ठेकेदार को दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्र/कार्यालय/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों में लगाये गये श्रमिकों का चालान प्रस्तुत करना होगा। दुग्ध संघ द्वारा उक्त चालानों के माध्यम से जमा की गई श्रमिकों के ई.पी.एफ./ई.एस.आई कर्मचारी अंशदान की राशि का कटौत श्रमिक ठेकेदार के देयकों से किया जावेगा। कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्यालय में प्रतिमाह/छ:माही/वार्षिकी रिटर्न, जो वैधानिक तौर पर जमा कराया जाना अनिवार्य हो, की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एवं कर्मचारियों की सूची सहित संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान जमा कराने हेतु प्रतिमाह जनरेट कर प्रस्तुत किये गये ऑनलाइन चालानों पर भी यह टीप दी जानी होगी कि "इस चालान द्वारा माहमें बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र/कार्यालय/समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों को प्रदाय किये गये कुल (संख्या) ठेका श्रमिकों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई अंशदान (..... प्रतिशत) राशि रु. जमा कराया जाना है तथा किसी भी श्रमिक का नाम छोड़ा नहीं गया है" इस आशय का प्रमाण पत्र ऑनलाइन चालान के पीछे देना अनिवार्य होगा। इस हेतु श्रमिक ठेकेदार के द्वारा दिया गया कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के कटौत का ब्योरा प्रतिमाह की वेतन स्लिप में उल्लेख करना होगा। सर्विस चार्ज केवल पारिश्रमिक (Wages) पर ही देय होगा। श्रमिक ठेकेदार को ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को प्रतिमाह जनरेट कर मासिक देयकों के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। मासिक देयकों के साथ प्रतिमाह ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के ऑनलाइन चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु. 10,000/- प्रतिमाह तक का वसूली अधिरोपित की जावेगी तथा चालान प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित माह के देयकों को पारित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में श्रमिक ठेकेदार से कोई पत्र व्यवहार अथवा अपील मान्य नहीं होगी। यदि श्रमिक ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयसीमा में ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान के चालानों को जनरेट कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान जमा कराने में विलंब होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा।
23	श्रमिक ठेकेदार को विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी प्रस्तुत करना होगी। श्रम अधिनियमों एवं कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वांछित प्रारूपों में जानकारी रखना ठेकेदार को आवश्यक होगा व मांगने पर उक्त रिकार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी शासकीय विभाग से किसी भी प्रकार की शिकायत संघ को प्राप्त नहीं होना चाहिये अन्यथा वसूली अधिरोपित की जावेगी।
24	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली निम्नानुसार वर्णित एजेसियों से पृथक-पृथक स्थितिवार की जावेगी :- (i) - दुग्ध को संबंधित पैकेजिंग मशीन से पैकिंग उपरांत कोल्ड रूम में शिफ्ट करना एवं वितरण के समय संबंधित कोल्ड रूम से वितरण डाक तक लाने में पूर्णतः श्रमिक ठेकेदार के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक की जवाबदारी होगी। यदि क्रेटस में निर्धारित क्षमता से अधिक दूध पैकेट पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिक पाये गये दूध पैकेट की राशि की 20 गुना राशि श्रमिक ठेकेदार से वसूली जावेगी। (ii) - वाहन में परिवहन के लिये डेरी डॉक से वाहन पर दूध एवं दूध पदार्थ लोड करने के उपरांत यदि डेयरी डाक पर खड़े वाहन में निरीक्षण करने पर अधिक मात्रा पाई जाने पर श्रमिक ठेकेदार, परिवहनकर्ता तथा सुरक्षा एजेंसी तीनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगी। इन परिस्थितियों में "दूध एवं दूध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामों की वसूली 03 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः श्रमिक ठेकेदार, वितरक-सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी। इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने

	वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना राशि एवं दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना राशि की वसूली समानुपात में तीनो एजेंसीज (पक्षों) से की जावेगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। (iii) – दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहन एवं वितरण की तृतीय स्थिति अर्थात डेयरी डॉक से उक्त पदार्थ परिवहन वाहन में लोडिंग उपरांत वाहन के डेयरी डॉक से चल देने के बाद संघ परिसर में अन्य किसी भी स्थान पर म. प्र. भूतपूर्व सैनिक कल्याण सुरक्षा एजेंसी/संयंत्र में कार्यरत सुरक्षा एजेंसी द्वारा चैकिंग के दौरान चालान में दर्शायी गयी मात्रा से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के अधिक पैकेट पाये जाने पर दो एजेंसीज यथा परिवहनकर्ता व डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी समान रूप से उत्तरदायी होगी। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की चोरी के प्रकरण में बने पंचनामें की वसूली 02 पार्टियों (पक्षों) क्रमशः वितरक-सहपरिवहनकर्ता एवं डेयरी डॉक पर कार्यरत सुरक्षा एजेंसी से समान अनुपात में राशि वसूल की जावेगी, साथ ही इस प्रक्रिया में वितरण वाहन में लोड करने वाले ठेका श्रमिक एवं संबंधित सुरक्षा गार्ड को कार्य से पृथक किया जायेगा। यदि दस लीटर से कम दूध अतिरिक्त पाया जाता है तो अतिरिक्त पाये गये दूध के मूल्य का पांच गुना व एक क्रेट तथा दस लीटर या उससे अधिक पाये जाने पर अतिरिक्त दूध का एवं प्लास्टिक क्रेटों के मूल्य का भी 20 गुना वसूली दोनो एजेंसीज (पक्ष) पर लगाया जायेगा। इसी प्रकार दुग्ध पदार्थ की चोरी के प्रकरण में भी 20 गुना वसूली दोनो पार्टियों पर अधिरोपित किया जावेगा। इस संबंध में पंचनामें पर मुख्य संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों में उपस्थित प्रबंधक/प्रभारी अथवा उसके अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत पंचनामें में निरीक्षण स्थल का उल्लेख आवश्यक होगा।
25	बोनस, जी.एस.टी एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि एवं श्रमिकों को भुगतान निर्धारित समय पर करने का संपूर्ण दायित्व श्रमिक ठेकेदार का होगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वित्तीय वर्ष के बोनस का भुगतान करने हेतु, प्रबंधन के निर्देशानुसार समयावधि में, बैंक भुगतान पत्रक दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा। श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह देयकों के विरुद्ध नियमानुसार जमा योग्य जी.एस.टी की राशि के चालान जनरेट कर दुग्ध स्तर से जमा कराने हेतु नियमों में प्रावधानित समयावधि में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा कि स्थिति में श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध राशि रु 50,000/- प्रतिमाह का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। अन्य वैधानिक दायित्वों के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली राशि के भुगतान प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा श्रमिक ठेकेदार को नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जावेगी। सर्विस चार्ज केवल मासिक न्यूनतम मजदूरी राशि पर देय होगा, अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान पर देय नहीं होगा।
26	निविदा शर्तों एवं अनुबंध में भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है। यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा।
27	श्रमिक ठेकेदार के संबंध में प्रबंधन यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह कर्मचारी भविष्य निधि /कर्मचारी बीमा योजना/ठेकेदार द्वारा दिये गये संदर्भ के परिपेक्ष्य में संबंधित निकायों/उपक्रमों/विभागों पूर्व नियोक्ताओं से पत्राचार कर यदि ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है, जो श्रमिक ठेकेदार ने अपनी निविदा इत्यादि में उल्लेख न कर उसे छुपाने का प्रयास किया है, तो उसका ठेका किसी भी समय समाप्त कर दिया जावेगा।
28	श्रम नियमानुसार कारखाना अवकाश, ओवर टाइम ठेका श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा भुगतान करना होगा। साथ ही रिलीवर/ऐवजी की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी जिसका भुगतान प्रमाणन प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा ठेकेदार को प्रतिपूर्ति की जावेगी। ठेकेदार को मानव दिवस (Mandays) के अनुसार भुगतान किया जावेगा जिसके प्रमाणन हेतु सत्यापित उपस्थिति पत्रक संलग्न करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि वह श्रम नियमानुसार अपने श्रमिकों से प्रतिमाह 26/27 दिवस से अधिक दिवस कार्य न कराये। श्रमिक ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ में प्रदाय किये गये अपने श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के

	अनुसार प्रत्येक माह में संबंधित शाखा प्रमुख, संबंधित मिनी डेयरी संयंत्र प्रभारी एवं संबंधित दुग्ध शीतकेन्द्र प्रभारी द्वारा सत्यापित उपस्थिति (हाजिरी) के आधार पर मजदूरी राशि एवं अन्य स्वत्वों (दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्धारित दर एवं संबंधित शाखा प्रमुख द्वारा सत्यापन के आधार पर टी.ए. माईलेज भत्ता, वाहन चालक भत्ता आदि) का भुगतान अनिवार्यतः बैंक खाते के माध्यम से करने हेतु बैंक भुगतान पत्रक आगामी माह की सात (07) तारीख के पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त बैंक भुगतान पत्रकों के आधार पर दुग्ध संघ स्तर से राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करा दी जावेगी तथा जमा की गई राशि व बैंक चार्जस का समायोजन श्रमिक ठेकेदार के देयकों से कर लिया जावेगा।
29	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्री-पैक शाखा/दुग्ध पदार्थ उत्पाद शाखा में उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों द्वारा यदि कार्य के समय पैकेट में कम वजन, लीकेज, डेमेज वाले पैकेट्स या निर्धारित संख्या से अधिक रखे जाते हैं या प्रोसेसिंग/उत्पादन, फिलिंग/पैकिंग, भण्डारण एवं हेण्डलिंग के दौरान दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ में कोई बाहरी तत्व यथा कीड़े/मकौड़े/बाल/काँच का टुकड़ा आदि पाये जाने पर श्रमिक ठेकेदार को इसके लिए उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। साथ ही संघ को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति भी श्रमिक ठेकेदार से की जावेगी।
30	श्रमिक ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को बताये गये अधिकृत पते अनुसार आयकर का PAN नं., कर्मचारी भविष्य निधि कोड नं., कर्मचारी बीमा कोड नं. एवं जी.एस.टी कोड नं की जानकारी स्पष्टतः देनी होगी।
31	यदि किसी श्रमिक के पास वैधानिक लायसेंस (वाहन चालक) है एवं उससे वाहन चालक के रूप में कार्य लिया जाता है तो ऐसे श्रमिक द्वारा लायसेंस की छाया प्रति संघ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उसे कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई श्रमिक आई.टी.आई./कम्प्यूटर प्रशिक्षित है तो उसे प्रबंधन से अनुमोदन पश्चात् कुशल श्रमिक की दर से भुगतान किया जावेगा।
32	श्रमिकों को कारखाना अधिनियम के परिपालन में एक ही पाली में निरन्तर कार्य पर नहीं रखा जा सकता है। श्रमिक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रमिक की पाली नियमानुसार बदले ऐसा नहीं पाया जाने पर श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी एवं आर्थिक शास्ति अधिरोपित की जावेगी।
33	यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का एक्सीडेंट हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च ठेकेदार को देना होगा। प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उनके लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति श्रमिक रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना होगी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत कराना होगा। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी।
34	श्रमिक ठेकेदार का दायित्व होगा कि प्रत्येक शाखा में प्रबंधन के निर्देशानुसार श्रमिकों की पूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि कार्य की गतिशीलता प्रभावित न हो तथा आवश्यक होने पर इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा श्रमिक ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर आर्थिक दण्ड भी लगाया जायेगा।
35	श्रमिक ठेकेदार को प्रतिमाह कार्य पर रखे श्रमिकों की संख्या मय नाम, उपनाम, पिता का नाम एवं उनके कार्य दिवस की संख्या का प्रतिवेदन शाखावार तैयार कर कार्मिक एवं प्रशासन शाखा को मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अत्यन्त आवश्यक होगा अन्यथा आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा।
36	श्रमिक ठेकेदार को संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र/कार्यालय/टाईम आफिस पर कारखाना अधिनियम अंतर्गत अनुशसित श्रमिकों का उपस्थिति रजिस्टर रखना होगा, जिसमें उसके या उसके पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिदिन, प्रतिपारी में प्रदाय किये जाने वाले श्रमिकों का विवरण उपलब्ध रहेगा। अधिकृत निरीक्षक अथवा संघ के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मॉगने पर रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा। ठेकेदार या उनके पर्यवेक्षक को प्रतिदिन उस रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
37	श्रमिक ठेकेदार को बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर की नाम मात्र की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, जिस हेतु रुपये 100/- का अंश खरीदना होगा परन्तु उसे वोट इत्यादि देने की पात्रता नहीं होगी।
38	श्रमिक ठेकेदार अथवा प्रबंधन को ठेके की अवधि के मध्य तीन माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।
39	श्रमिक ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र एवं अनुबंध की शर्तों व कार्य के विवरण में दी गई सूचनाओं का पालन करना अनिवार्य है। श्रमिक ठेकेदार द्वारा आदतन रूप से यदि उपरोक्त कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो दिया गया ठेका निरस्त कर सुरक्षानिधि जब्त की जा सकेगी व आर्थिक दण्ड के साथ साथ उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ठेकेदार को संघ की काली सूची में डाला जाकर भविष्य में होने वाली संघ की किसी भी निविदा या अन्य कार्यवाही में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
40	श्रमिक ठेकेदार किसी भी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी.एफ/दुग्ध संघ/सहकारी संस्था से काली सूची में नामांकित नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में काली सूची में होने का खुलासा होता है तो

	श्रमिक ठेकेदार की जमानत/धरोहर राशि जप्त कर ठेका तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।
41	प्रबंधन एवं श्रमिक ठेकेदार के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन एक्ट 1996" के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
42	निष्पादित अनुबंध को श्रमिक ठेकेदार अथवा बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा। श्रमिक ठेकेदार द्वारा यदि पूर्व सूचना दिये बिना ही श्रमिक ठेका समाप्त किया जाता है, जिससे कार्य प्रभावित होता है, तो इस स्थिति में ठेकेदार की जमा सम्पूर्ण सुरक्षा निधि जब्त की जावेगी तथा इसके अतिरिक्त श्रमिक ठेकेदार को काली सूची में अंकित किया जा सकेगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
43	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई सागर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।
44	यदि सफल निविदाकार ठेकेदार का मुख्यालय सागर शहर के अतिरिक्त अन्य कहीं है तो उसे सागर शहर में एक स्थानीय कार्यालय भी खोलना अनिवार्य होगा, जिसका पूर्ण पता देना होगा ताकि, प्रबंधन द्वारा पत्राचार संपर्क इत्यादि उक्त कार्यालय के माध्यम से किया जा सके।
45	श्रमिक प्रदाय करने हेतु न्यूनतम मजदूरी दर पर प्रतिशत सर्विस चार्ज द्वितीय पक्ष को देय होगी, जो उसके द्वारा प्रदाय सम्पूर्ण सेवा अवधि में लागू होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर	हस्ताक्षर श्रमिक ठेकेदार
स्थान —	नाम —
दिनांक —	
1. गवाह का नाम एवं पता	सागर कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फ़ैक्स/ई-मेल
पहचान पत्र का नम्बर	
हस्ताक्षर गवाह	
2. गवाह का नाम एवं पता	1. गवाह का नाम एवं पता
पहचान पत्र का नम्बर	पहचान पत्र का नम्बर
हस्ताक्षर गवाह	हस्ताक्षर गवाह
	2. गवाह का नाम एवं पता
	पहचान पत्र का नम्बर
	हस्ताक्षर गवाह